The Jharkhand Regional Development Authority Amendment Act, 2006

Act 19 of 2006

Keyword(s):
The Jharkhand Regional Development Authority Act, 1981

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 628 9 अग्रहायण, 1928 शकाब्द

राँची, वृहस्पतिवार 30 नवम्बर, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2006

संख्या-एल०जी०-06/2006-124/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 25 नवम्बर, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006
[झारखण्ड अधिनियम 19, 2006]

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम ''झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम- 2006'' कहा जा सकेगा ।

Published by National Portal of India (https://www.indiacode.nic.in)

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) के अध्याय-VI, की धारा-30 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की इस धारा के पहले वाक्य जो ''समय-समय पर अधिसूचित किये जायें'' के साथ समाप्त होता है के तुरंत बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

''परन्तु यह कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह घोषणा कर सकेगी कि इस अध्याय के किसी भी अथवा सभी प्रावधानों की शक्ति का प्रयोग, अधिसूचना में उल्लिखित ऐसे मामलों में और ऐसे शर्त्तों के अधीन किया जा सकेगा, जो इसमें विनिर्दिष्ट हो तथा प्राधिकार की शक्ति इस सीमा तक निष्प्रभावी रहेगी ।''

3. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-53 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की धारा-53 में उल्लेखित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुकों को जोड़ा जायगा, यथा :-

''परन्तु यह भी कि, राज्य सरकार ऐसे किसी एजेन्सी को निर्देशित कर सकेगी कि इस प्रयोजन हेतु प्रमाण-पत्र की बाध्यता नहीं होगी ।''

''परन्तु यह भी कि, किसी भवन के दखलकार को जल संयोजन मात्र से इस अधिनियम में किसी अन्य प्रावधान से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी ।''

4. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-65(2) का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की इस धारा में शब्द ''सामान्य नीति'' के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा :-

''एवं अध्याय-VI में वर्णित विषय जो शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद-243 (W) में की गई हो ।''

5. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-75 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 की इस धारा में दूसरा शब्द ''प्राधिकार'' के तुरंत बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा :-

''अथवा राज्य सरकार''

6. **निरसन एवं व्यावृति :-**

(i) **निरसन:**-झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (झारखण्ड अध्यादेश 02, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) **व्यावृत्ति:**-ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी मानो, यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्यवाही की गयी थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2006

संख्या एल०जी०06/2006-125/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2006 को अनुमत झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :-

The Jharkhand Regional Development Authority (Amendment) Act, 2006

[Jharkhand Act 19, 2006]

ACT

To amend the Jharkhand Regional Development Authority Act, 1981. (Adopted)

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the fifty seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent & commencement:-

(i) This Act may be called " The Jharkhand Regional Development Authority (Amendment) Act-2006"

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section-30 of Chapter-VI of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981(Adopted) :-**

In this Section of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981, the following proviso shall be inserted immediately after the first sentence ending with " may be notified from time to time"

Provided that the State Government may by notification in the official Gazette direct that any or all provisions of this chapter shall be exercised by such officer or local authority as may be mentioned therein in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein and accordingly the power of the authority will cease to such extent.

3. **Amendment of section-53 of the Jharkhand Regional Development Authority Act, 1981 (Adopted):-**

After Section-53 of the Jharkhand Regional Development Authority Act 1981 after the existing provision the following two proviso shall be inserted, namely

Provided that the State Government may direct such agency that no such certificate will be compulsorily required for this purpose.

Provided further that a mere water connection will not give any immunity to such occupant of a building from application of any other provision of this act.

4. Amendment of Section-65(2) of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981 (Adopted):-

In this Section of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981 the following shall be inserted after the word, " general policy":-

"and on matters in respect of chapter-VI for giving effect to the subjects pertaining to urban local bodies as provided in artical-243(W).

5. Amendment of section-75 of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981 (Adopted):-

In this Section of Jharkhand Regional Development Authority Act-1981 immediately after the second word "authority" the following shall be inserted:-

"or the State Government"

6. Repeal and Saving :-

(i) Repeal:-Jharkhand Regional Development Authority Act (Amendment) ordinance-2006 (Jharkhand ordinance 02, 2006) is hereby repealed.

(ii) Saving -Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in the exercise of power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of powers conferred by or under this act, as if, this act were enforce on the day on which such thing was done or action taken.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 628--300+400--शनि मुण्डा ।

Published on National Portal of India (http://www.indiacode.nic.in)